न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 16/2019
दायर दिनांक :— 25—03—2019
निर्णय दिनांक :— 13—08—2019

अनवान

श्री भंवर लाल पिता डालु जी लौहार निवासी प्रतापपुरा, पो0 भावा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

——निगराकार

बनाम

1. श्री डालु उर्फ डालचन्द पिता गंगाराम जी लौहार, निवासी प्रतापपुरा पो0 भावा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. श्रीमती राजेश्वरी पत्नि श्री श्याम बोराणा लौहार, निवासी प्रतापुरा पो0 भावा तहसील कुवारिया व जिला राजसमन्द हाल निवासी 8—डी, रूपरजत एन्कलेव, पाल रोड, चौपासनी हाउसींग बोर्ड, जोधपुर
3. ग्राम पंचायत भावा जरिये संरपच, ग्राम पंचायत भावा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

——गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भावा पत्रावली संख्या 47/2004 दिनांक 27.08.2004 नवीनीकृत पट्टा दिनांक 20/12/2018 जिसके द्वारा विपक्षी नं. 1 को पैतृक सम्पति के बारे में पट्टा न. 12934 दिनांक 05/10/2004 जारी कर दिनांक 20/12/2018 को नवीनीकृत किया गयां

उपस्थित :—

1— श्री डुंगर सिंह कर्णावट, अधिवक्ता निगराकार
2— श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अधिवक्ता गैर निगराकार

—: निर्णय :—

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट द्वारा विपक्षी नं 1 को पैतृक सम्पति के बारे में पट्टा नं 12934 दिनांक 05/10/2004 जारी कर दिनांक 20.12.2018 को नवीनीकृत किया गया । प्रार्थी की बिना जानकारी के उक्त भूखण्ड को अपना पुश्तैनी बताकर उक्त भूखण्ड का पट्टा उक्त मिसल नं. 47/2004 दिनांक 27.08.2004 कायम कर जारी किया गया। जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत निगरानी के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि

प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर निगरानी को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । निगराकार के अधिवक्ता ने बहस में निवेंदन किया है कि ग्राम प्रतापपुरा तहसील राजसमन्द स्थित आराजी नं. 31/2 में प्रार्थी के बाप दादाओं के समय का पुराना मकान बना हुआ है। जिस पर प्रार्थी का भी आधिपत्य है। उक्त मकान के पडौंस निम्न है।

पूर्व दिशा में सरकारी पडत भूमि जंहा वर्तमान में मांगीलाल सालवी का मकान बना है।
पश्चिम दिशा में आम रास्ता
उत्तर दिशा में श्याम बोराणा व मुझ प्रार्थी का मकान व प्लाट
दक्षिण दिशा में झमकु बाई का मकान व प्लाट जो वर्तमान में श्रीमती छगनी के कब्जे में है।

उक्त भूखण्ड के बारे में विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी की बिना जानकारी में उक्त भूखण्ड को अपना पुश्तैनी बताकर उक्त भूखण्ड का पट्टा उक्त मिसल नं 47 सन् 2004 से प्राप्त किया और उसी पट्टे को पुनः नवीनीकृत कराकर उसका पंजीयन दिनांक 30/01/2019 को अपने नाम करवा लिया। इस भुखण्ड के बारे में दिनांक 27/08/2004 को जो पत्रावली बनाई गई उस पत्रावली की प्रमाणित सत्य फोटोकॉपी इस प्रार्थना–पत्र के साथ सलग्न है। जिससे स्पष्ट हैं कि इस पत्रावली के अन्दर कोई प्रोसेडिंग लिखी हुई नहीं है। खाली कागजो पर सरपंच के हस्ताक्षर है। खाली कागजो पर वार्ड पंचों के भी हस्ताक्षर है। आपति आह्वान पत्र पर भी भुमि का कोई विवरण अंकित नही है। केवल सरपंच के हस्ताक्षर है। विपक्षी नं. एक के हस्ताक्षरशुदा एक प्रार्थना पत्र है। जिसमें गांव का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। खाली जगह छोड रखी है। और इस मिसल के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी कर दिया गया है। यह सारी कार्यवाही एक ही दिन यानि दिनांक 27.08. 2004 को ही पुरी कर ली गई है। मिसल में कोई पट्टा भी लगा हुआ नहीं है। विपक्षी नं 1 डालु जी पढे लिखे या हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते है अंगुठा छाप है परन्तु प्रार्थना पत्र में उनके हस्ताक्षर बता रखें है जिससे स्पष्ठ है कि फर्जी कार्य किया गया है। इसी पट्टे के आधार पर ग्राम पंचायत भावा ने दिनांक 05/10/2004 के पट्टे का हवाला देते हुये दिनांक 20.12.2018 को नवीनीकृत पट्टा बना दिया और दिनांक 30.01.2019 को उसका पंजीयन भी विपक्षी नं. 1 के नाम करवा दिया। विपक्षी नं. 1 ने पट्टा प्राप्त होते ही दिनांक 12.02.2019 को विपक्षी नं 2 जो कि विपक्षी नं 1 की पुत्रवधु है, के नाम पर दानपत्र लिख उसे हस्तान्तरण कर दिया। जब कि मुल पट्टा ही वास्तविक रूप मे जारी ही नहीं किया गया न पत्रावली पर इस बारे में कुछ उल्लेख है। उसी पट्टे को ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत किया ही नही जा सकता। और इस प्रकार किया गया नवीनीकरण कानूनन कोई महत्व नहीं रखता है।विवादित भुखण्ड ग्राम प्रतापपुरा की आबादी भुमि आराजी नं. 31/2 में स्थित है।-और विपक्षी संख्या 2 के नाम पर जो हस्तान्तरण किया गया हैं वो आराजी नं. 31/1 में किया गया है । इससे भी स्पष्ट है कि सारा कार्य मिलीभगत से किया गया

है। निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे व ग्राम पंचायत भावा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त किया जावे ।

गैर निगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया पटटा विधि अनुसार जारी किया गया है। पटटा विधि सम्मत जारी किये जाने के बाद ही उस भूखण्ड को रजिस्टर्ड दान पत्र से श्रीमती राजेश्वरी देवी के नाम किया गया हैं । अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या एक को जारी किया गया पटटा सही एवं वैधानिक है। निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमायी एंव इस सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी सव्यय खारीज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । रेकार्ड देखने पर विवादित भूखण्ड पैतृत सम्पत्ति का हिस्सा है। जबकि गैर निगराकार द्वारा अपना पुश्तैनी बताकर उक्त भूखण्ड का पट्टा उक्त मिसल नं 47 सन् 2004 से प्राप्त किया और उसी पट्टे को पुनः नवीनीकृत कराकर उसका पंजीयन दिनांक 30/01/2019 को अपने नाम करवा लिया। तथा उसी विवादित भूखण्ड को अपनी पुत्र वधू श्रीमती राजेश्वरी के नाम दान पत्र रजिस्ट्रर्ड करवाकर उसके नाम कर दिया गया है। जबकि विवादित भूखण्ड पैतृक सम्पत्ति है ,अकेला डालू उसका पटटा नहीं बनवा सकता है। साथ ही पटटा तैयार करने में जो कार्यवाही की गई है। वह बिल्कुल फर्जी होकर पत्रावली के अन्दर कोई प्रोसेडिंग लिखी हुई नहीं है, खाली कागजो पर सरपंच के हस्ताक्षर है। खाली कागजो पर वार्ड पंचों के भी हस्ताक्षर है। आपति आह्वान पत्र पर भी भुमि का कोई विवरण अंकित नही है। केवल सरपंच के हस्ताक्षर है। विपक्षी नं. एक के हस्ताक्षरशुदा एक प्रार्थना पत्र पर है। जिसमें गांव का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत भावा द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम पेज पर प्रारम्भिक पत्र संग्रह दिनांक 27.08.2004 लगा हुआ है। उप पत्र पर सरपंच श्री भंवरलाल के हस्ताक्षर है। दूसरे पत्र पर आज्ञाओं की सूची लगी हुई हैं , पेज खाली होकर सरपंच के हस्ताक्षर है। तीसरा पेज आज्ञाओं की सूची खाली पडा हुआ है। चतुर्थ पेज पर श्री डालू का प्रार्थना पत्र है। जिस पर लिखा है कि स्वयं की पुस्तैनी जमीन का पटटा चाहने बाबत । पंचम पेज पर आपत्ति आवहान पत्र लगा हुआ है। जिसपर डालू का नाम व पिता का नाम अंकित है भूमि का विवरण खाली होकर सरपंच के हस्ताक्षर है। षष्टम पेज पर नजरी नक्शा होकर दिशायें अंकित हो सरपंच के हस्ताक्षर है। सप्तम पेज खाली होकर चन्दरी ,गोपीलाल एवं सरपंच के हस्ताक्षर है। अतः फर्जी तरीके से विपक्षी संख्या एक श्री डालू को उक्त भूखण्ड पर पट्टा जारी करने सम्बन्धी सभी कार्यवाही फर्जी होकर निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि उक्त भूखण्ड पैतृक सम्पत्ति होने से श्री भंवरलाल का नाम भी उक्त पटटे में होना चाहिये था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा श्री डालू पिता गंगाराम लौहार निवासी प्रतापपुरा को जारी पटटा न. **12934 दिनांक 05/10/2004** निरस्त किया जाता है। प्रकरण ग्राम पंचायत भावा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उभयपक्षों की सुनवाई कर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से विधि अनुसार पट्टे जारी करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

चुंकि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी तथा मनमाने तरीके से खाली कागजों के आधार पर जारी किया गया है।

अतः विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द को आदेश जारी हो कि वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर प्रति पेश करें। तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर पालना पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द